



पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में शामिल होने की प्रक्रिया, लाभों एवं विशेषताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंपनियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया ; इसका उद्देश्य एनपीए ढांचे के तहत पेंशन फंडों की भूमिका के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करना है

1.80 करोड़ से अधिक अभिदाता एनपीएस-निजी क्षेत्र में शामिल हुए

Posted On: 01 DEC 2017 7:48PM by PIB Delhi

पेंशन फंड नियामक विकास एजेंसी (पीएफआरडीए) ने कंपनियों के बीच एनपीएस को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर एनपीएस कार्यशालाओं का आयोजन करना आरंभ किया है। अपने इस उद्देश्य को जारी रखने के लिए आज पुणे में फिक्की, महाराष्ट्र राज्य परिषद और महारत्ता वाणिज्य, उद्योग एवं कृषि चैम्बर के सहयोग से एक कॉरपोरेट बैठक का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में लगभग 55 कंपनियों के 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पीएफआरडीए के अधिकारियों ने एनपीएस पर विस्तृत प्रस्तुति दी और प्रतिभागियों को कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के लिए भी एनपीएस में शामिल होने की प्रक्रिया, लाभों एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। एनपीएस ढांचे के तहत पेंशन फंडों की भूमिका तथा दीर्घकालिक निवेश के लाभ और पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश दिशा-निर्देशों के बाद पेंशन फंड द्वारा सृजित होने वाले इष्टतम रिटर्न को रेखांकित किया गया।

पीएफआरडीए अधिकारियों ने एनपीएस में शामिल होने, कर लाभों, पीओपी विवरणों, समय सीमाओं, एनपीएस को सेवा निवृत्ति फंड के हस्तांतरण, प्रतिभागियों को एन्यूटी आदि के बारे में पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए। 25 नवंबर, 2017 तक 1.80 करोड़ से अधिक अभिदाता एनपीएस-निजी क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं।

वीएल/एएम/एसकेजे/वाईबी/सीएस-5698

(Release ID: 1511566) Visitor Counter : 66

